न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 11/2022 दायर दिनांक–03–02–2022

माफी मंदिर श्री रघुनाथजी विराजमान वाके ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ नाबालिग जरिये पुजारी सांवरमल पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सौथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

– वादी

बनाम

1. ईश्वर सिंह पुत्र सलाराम
2. मदनलाल पुत्र सलाराम
3. महीपालसिंह पुत्र सलाराम
4. बजरंगलाल पुत्र सलाराम
   जाति मीणा निवासीगण ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रति॰ नं॰ :– एकपक्षीय

दावा बाबत इश्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा
व स्थाई व्यादेश तथा बेदखली जमीन

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.05.2022

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम सौंथली में मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी स्थित है, मंदिर में गोपीनाथजी की मूर्ति स्थापित है। उक्त मंदिर सैंकड़ो साल पुराना है। इस मूर्ति श्री रघुनाथजी की सेवा पूजा ग्राम सौंथली के निवासी करते आये है, पुजारी के रूप में पूर्व में चमनदास चैला बिसनदास कौम स्वामी उसके पश्चात् गणपत पुत्र खांगा कौम ब्राहम्ण तथा उक्त गणपत के स्वर्गवास होने पर सांवरमल पुत्र गणपतराम उक्त मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे है। तत्कालिन ठिकाना द्वारा भी सेवा पूजा के लिये उक्त मंदिर की खातेदारी में दी गई थी, जिससे मूर्ति मंदिर की मरम्मत व सेवा पूजा भोग आदि की व्यवस्था उक्त भूमि से की जावें और मूर्ति मंदिर की आय स्थाई रूप से हो तथा पुजारी द्वारा मंदिर की सेवा पूजा होती रहे, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आये। इसी के चलते वाके ग्राम सौथली की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 19 बीघा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 233/236 रकबा 3 बीस्वा भूमि मूर्ति मंदिर को दी गई थी, जो बीच में पुजारी गणपत पुत्र खांगा कौम ब्राहम्ण के नाम से भी दर्ज हुई है तथा वर्तमान पुजारी के नाम से भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वादी के जरिये पुजारी वाद–पत्र प्रस्तुत कर रहा है। मूर्ति मंदिर की भूमि की सुरक्षा करना पुजारी का दायित्व है इसलिये पुजारी व वाद मित्र की हैसियत से यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 233 रकबा 19 बीघा 6 बीस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 273 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.75 हैक्टर ग्राम सौंथली में वादी मंदिर की भूमि कभी मजदूरो के मार्फत कभी पुजारी के द्वारा काश्त की जाती रही है, क्योंकि मूर्ति [illegible] नाबालिग होती है, जो स्वंय काश्त करने में असमर्थ होती है, मूर्ति की सेवा पूजा व भोग की [illegible] हेतु वादग्रस्त भूमि की काश्त से जो पैदावार प्राप्त होती है, उसका उपयोग उपभोग मूर्ति व मंदिर व्यवस्था हेतु प्रयोग में लाई जाती है, मूर्ति की खातेदारी काश्त की भूमि को काश्त करने वाले मजदूर साधारण मजदूरी प्राप्त कर भूमि को काश्त कर पैदावार मूर्ति मंदिर की व्यवस्था करने वाले पुजारी को सुपुर्द करते आये है। मूर्ति मंदिर की उक्त भूमि जागीर खालसा होने पर उक्त भूमि को स्वंय खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

(22)

काश्तकार श्री मूर्ति मंदिर रघुनाथजी विराजमान रहे है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही है। नकल जमाबन्दी व नकल मिलान क्षैत्रफल वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 233 रकबा 19 बीघा 6 बीस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली की भूमि जागीर खालसा होने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के रोज वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी को बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हुये तब से लेकर दावा दायरी के रोज तक बाकायदा मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी खातेदार काश्तकार रहे है। कानूनन मूर्ति मंदिर नाबालिग होने से उसकी भूमि का रख रखाव व संरक्षण श्रीमान् तहसीलदार महोदय व हर आम और खास को रखने का दायित्व है। मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, भले ही कोई व्यक्ति का कब्जा काश्त किसी भी रूप में कितने ही समय तक क्यों न रहा हो, मूर्ति मंदिर की सुरक्षा के लिये कई प्रकार की राज्य सरकार द्वारा कमेठियों का गठन किया गया है, जिनमें श्रीमान् तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी महोदय को बतौर अध्यक्ष बनाया गया है। नियमानुसार मूर्ति मंदिर की भूमि को भी राज्य सरकार की भूमि के समकक्ष रखा गया है। मूर्ति मंदिर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व भूमि का दुरूपयोग करने की सूरत में राज्य सरकार की भूमि की तरह ही उनके खिलाफ अं. धारा 91 भू–अभिलेख अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर बेदखल किये जाने का प्रावधान है। हल्का पटवारी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने हल्के में दर्ज मूर्ति मंदिरो की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना तुरन्त तहसीलदार व उपखण्ड महोदय को दे, परन्तु इतने प्रावधान होने के बावजूद भी मूर्ति मंदिर की भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण किये जाकर खुर्द–बुर्द की जा रही है, जिसके चलते वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने गैर कानूनी व नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है। अब प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 उक्त भूमि की पैदावार को भी मूर्ति मंदिर के भोग के लिये देना बन्द कर दिया है तथा वर्तमान पुजारी सांवरमल पुत्र गणपतराम के साथ मारपीट करते है, जिसका मुकदमा भी पुलिस थाना गुढा में दर्ज करवाया गया था, अब प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 ने वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी की खातेदारी काश्त की भूमि होने से भी इंकार कर दिया है और सार्वजनिक रूप से यह कहने लगे है कि वादग्रस्त भूमि हमारी खातेदारी काश्त की भूमि है, हमने इसमें पुख्ता निर्माण कर लिया है, अब हम इस भूमि को मूर्ति मंदिर को नहीं देंगे और न ही इस भूमि की पैदावार का कोई भाग मूर्ति के भोग व रख रखाव के लिये पुजारी को देंगे। अगर पुजारी या कोई गांव का व्यक्ति इस जमीन की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे जान से खत्म कर देंगे, हमारी प्रशासन व अधिकारियों में पटवारी, ग्राम सेवक हमारे घर के है, जो किसी भी प्रकार की रिपोर्ट मांगने पर हमारे पक्ष में ही रिपोर्ट देंगे, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि की किश्म परिवर्तित कर छोटे–छोटे टुकड़ो में कर विक्रय करने पर आमादा है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम सौंथली की आबादी भूमि के सटकर है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से लेकर आज तक मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज रही है, जिसमें किसी भी व्यक्ति कोई खातेदारी व हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी की खातेदारी से इंकार करते हुये पुजारी के साथ मारपीट कर भूमि होने का सार्वजनिक रूप से कथन करने लगे है। ऐसी हालत में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली की मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी की खातेदारी काश्त की भूमि घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 आपस में मिलकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 274, 275 में मंदिर मूर्ति की परमिशन से खेत के उद्देश्य से रहने हेतु मकानो का निर्माण करवाया व वादग्रस्त भूमि में मूर्ति श्री रघुनाथजी के द्वारा निर्मित कुये पर मूर्ति की इजाजत से विद्युत कनेक्शन करवाया, जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को अपनी [illegible] व मूर्ति की भोग के लिये फसल का देने से इंकार हो गये, जब मूर्ति श्री रघुनाथजी के [illegible] द्वारा इस बात का विरोध करने व भोग हेतु हिस्सा देने बाबत् कहने पर दिनांक [illegible] के साथ मारपीट की और खुली ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि हमारी [illegible] है, मंदिर श्री रघुनाथजी को कोई भूमि नहीं है, हमने इस भूमि में पुख्ता निर्माण कर लिया है, व [illegible] पर हमारे पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन ले लिया है, अब हम इस भूमि के मालिक बन गये है, जबकि कानूनन श्रमिक द्वारा करवाई गई, काश्त या किसी भी रूप में मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति के द्वारा काश्त की जाने पर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

मूर्ति मंदिर की खुद काश्त की परिभाषा में आयेगी। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 द्वारा मूर्ति मंदिर की भूमि पर काश्त करने से कोई खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हुये है। वादी के पुजारी सांवरमल ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को वादग्रस्त भूमि पर 13 जून, 2021 में मौठ, गुवार, बाजरा की फसल नहीं काश्त करने हेतु कहा और मूर्ति के भोग के हिस्सा देने के लिये कहा तो फसल का हिस्सा भोग में देने से इंकार हो गये, जब पुजारी ने इस वर्ष सरसो, चना की फसल नहीं बौने के लिये मना किया तो प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने कहा कि यहां से चला जा, पुजारी सांवरमल इस बाबत् गांव के लोगो को इक्कठा किया तो गांव के मौजिज व्यक्तियों ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को काफी समझाने का प्रयास किया और बार–बार गांव वालो के समझाने पर भी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि को खाली करने से इंकार हो गये और दिनांक 13.06.2021 को पुजारी सांवरमल व उसके परिवारवालो के साथ मारपीट की, माह जून 2021 के पश्चात अब दिनांक 21.01.2022 को प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने वादग्रस्त भूमि को अपनी खातेदारी का होने का खुला ऐलान कर दिया है और भूमि पर पुजारी या किसी को जाने से जान से मार देने पर आमादा हो गये है। पुजारी व गांव वालो पर एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज करवा देने की धमकी दी दे रहे है। ऐसी हालत में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर पर बतौर अतिक्रमी है, जिनको वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी मूर्ति मंदिर को दिलवाया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 नाजायज व गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है और भूमि में से मिट्टी वगैरा खोदकर हरे पेड़ो को काटकर तथा जगह–जगह पुख्ता निर्माण कर भूमि की किश्म परिवर्तित कर रहे है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सौंथली के आबादी भूमि से सटकर होने के कारण लोगो को जरिये नोटेरी छोटे छोटे भूखण्ड काटकर विक्रय कर रहे है तथा भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने को आमादा है। जब पुजारी सांवरमल ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को ऐसा करने से मना किया तो दिनांक 21.01.2022 को मूर्ति मंदिर की भूमि होने स इंकार कर अपनी स्वंय की भूमि होने का ऐलान किया और वादी मूर्ति के पुजारी सांवरमल व ग्रामीणो को धमकी दी कि हम मीणा जाति के लोग है, तुम्हे पहले भी समझाया था तब भी तुम हमसे लठ खाकर गये थे, अब भी यहां से चला जा, अन्यथा जान से खत्म कर देंगे, हम इस जमीन को छोटे–छोटे भूखण्डो में विक्रय करेंगे तथा जगह–जगह पुख्ता निर्माण कर भूमि की किश्म परिवर्तित कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पटवारी, ग्राम सेवक व ऊपर के अधिकारी लोग हमारे परिवार व रिश्तेदारी के लोग है, अगर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी की भूमि खुर्द–बुर्द हो जावेगी और वादी मूर्ति को व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंसना होगा, जिसमें वादी मूर्ति व न्यायालय का अमूल्य समय की बर्बादी होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि को न तो विक्रय करें, न छोटे–छोटे प्लॉट काटकर भूमि को अकृषि में परिवर्तित करें तथा न ही वादग्रस्त भूमि में कच्चा या पक्का निर्माण कर भूमि को वेस्ट व डेमेज करें, न ही भूमि की शक्ल सूरत परिवर्तित कर भूमि को खुर्द–बुर्द करें, वादग्रस्त भूमि में बने कुये व पम्पिंग सेट में किसी प्रकार का परिवर्तन कर नुकसान नहीं पहूंचाये, कुंआ व पम्पिंग सेट को यथावत् रखे। मौका की यथास्थिति बनाई रखें।

यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी नाबालिग की होने से उसकी सुरक्षा की जानी आवश्यक है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 आपस में मिलकर वादी की उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से बलपूर्वक वंचित कर दिया है, इससे वादी को सालाना दोनो फसलो का लगभग 1 लाख रूपये से अधिक का नुकसान हो रहा है तथा वादग्रस्त भूमि में खड़े खेजडी व अन्य कीमती पेड़ो से होने वाली आय से लगभग 20,000/–रूपये सालाना का नुकशान हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के खिलाफ क्षतिपूर्ति के रूप में वादी सालाना 1,20,000/–रूपये प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि का अतिक्रमी है, जिन्हे हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 दावा दायरी के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का कब्जा स्वयं नहीं देने से लेकर कब्जा नहीं देने के रोज तक सालाना 1,20,000/–रूपये प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 से वादी मूर्ति रघुनाथजी को दिलवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अगर दौराने वाद–पत्र प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 या उनके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कच्चा या पक्का निर्माण कर लिया जाता है तो उक्त निर्माण प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के खर्चे से हटवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (न्या. दे.)
नवलगढ़

वाद प्रस्तुत वादी ने निम्न अनुतोष चाहा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली को वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी की खातेदारी कब्जे काश्त की घोषित की जावें।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 बतौर अतिक्रमी काबिज है, जिन्हे बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का कब्जाकाश्त वादी मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी के पुजारी को सम्भलाया जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 इस आशय से फरमाई जावें कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली को न तो विक्रय करे, न वेस्ट व डेमेज करें, न छोटे–छोटे प्लॉट काटकर व कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करें तथा न ही वादग्रस्त भूमि में बने पुख्ता निर्मित कुंआ व उसमें लगे पम्पिंग सेट को खुर्द–बुर्द करें, वेस्ट व डेमेज न तो स्वंय करें अथवा न ऐसा कृत्य अपने अधिनस्थ नौकर–चाकर, प्रतिनिधि आदि से करावें, मौका की यथास्थिति बनाई रखें।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टर वाके ग्राम सौंथली पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 माह जून 2021 से बतौर अतिक्रमी है, जिनसे सालाना 1,20,000/–रूपये वादी मूर्ति श्री रघुनाथजी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया जावें। दौराने वाद–पत्र प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 या उनका कोई व्यक्ति वादग्रस्त भूमि में कोई कच्चा या पक्का निर्माण कर भूमि की शक्ल सूरत बदल देता है तो उक्त निर्माण प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के खर्चे से हटवाया जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 05 बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के रूप में कोई उपस्थित नही होने से पत्रावली में तनकीयात कायम नही की जाकर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में गवाह वादी सांवरमल, मनीराम, सुरेन्द्र के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादी अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 01 लगातय 14 प्रदर्शित करवाये है।

वादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहने पर शहातद वादी बंद की जाकर बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 01 लगायत 14 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी काश्त की भूमि रही है। प्रदर्श–4 लगायत 8 की जमाबंदियों से यह स्पष्ट है कि वादी मूर्ति मंदिर के पूजारी के रूप में वर्तमान पूजारी सांवरमल व उसके पूर्वज रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 01 लगायत 14 का कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर नही किया गया है। वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 273 व 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 कुल किता 02 कुल रकबा 1.68 हेक्टर वाके ग्राम सौंथली का खातेदार काश्तकार वादी मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथजी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होती है। फलस्वरूप वादी वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम सौंथली की भूमि खसरा नम्बर 273 व 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 कुल किता 02 कुल रकबा 1.68 हेक्टर का मंदिर श्री रघुनाथजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 बतौर अतिक्रमी काबिज है, को बेदखल कर विवादित भूमि का कब्जा वादी मूर्ति मंदिर रघुनाथजी के पूजारी सम्भलाया जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 273 व 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 कुल किता 02 कुल रकबा 1.68 हेक्टर में से बेदखल किये जाने तक मोके की यथास्थिति बनाये रखेगे। तथा किसी भी सूरत में विवादग्रस्त भूमि व उसमें निर्मित कुआं व पम्पिग सेट को खुर्द–बुर्द व वेस्ट व डेमेज नही करेगे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dariyavdi Kanwar
Date: 2022.08.25 16:44:04 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़दमयंती कंवर ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

25

दावा बाबत इश्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व स्थाई व्यादेश तथा बेदखली जमीन

मुकदमा सं0 :– 11/2022 (माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी बनाम ईश्वर सिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम सौंथली की भूमि खसरा नम्बर 273 व 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 कुल किता 02 कुल रकबा 1.68 हेक्टर का मंदिर श्री रघुनाथजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 बतौर अतिक्रमी काबिज है, को बेदखल कर विवादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी मूर्ति मंदिर रघुनाथजी के पूजारी सम्भलाया जाने के आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 273 व 274 रकबा क्रमशः 0.93, 0.75 कुल किता 02 कुल रकबा 1.68 हेक्टर में से बेदखल किये जाने तक मोके की यथास्थिति बनाये रखेगे। तथा किसी भी सूरत में विवादग्रस्त भूमि व उसमें निर्मित कुआं व पम्पिग सेट को खुर्द–बुर्द व वेस्ट व डेमेज नही करेगे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2022 को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested